

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1560

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

कोयले की मांग और आपूर्ति

1560. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य के विशेष संदर्भ में कोयले की मांग और आपूर्ति का राज्य और संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत कोयले से पूरा किया जाता है;

(ग) क्या देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले की मांग में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितने प्रतिशत मांग देश में ही पूरी की गई है और घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं ताकि आयातित कोयले पर निर्भरता कम हो सके और विदेशी मुद्रा की बचत हो सके;

(घ) क्या वैश्विक स्तर पर कोयले का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में कोयले के उपयोग में वृद्धि के क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) तथा (ख) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से जून, 2024) के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा कोयले की कुल मांग और कुल आपूर्ति तथा राज्य को की गई कोयले की घरेलू आपूर्ति निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	कुल मांग	कुल आपूर्ति	राज्यों को घरेलू आपूर्ति
------	----------	-------------	--------------------------

		घरेलू	आयात	महाराष्ट्र
2021-22	1027.84	819.21	208.63	62.76
2022-23	1115.04	877.37	237.67	61.32
2023-24*	1233.86	972.86	261.00	88.72
2024-25 (जून, 2024 तक)	310.51	263.19	47.32@	22.24

*महाराष्ट्र राज्य को कोयले की घरेलू आपूर्ति संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

@मई, 2024 तक

महाराष्ट्र राज्य के विशेष संदर्भ में कोयले की आपूर्ति का राज्य-वार और संयंत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सीईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2024-25 (अप्रैल से जून, 2024) के दौरान देश में कुल उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से वास्तविक बिजली उत्पादन, कोयला आधारित उत्पादन से कुल उत्पादन और योगदान निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (बिलियन यूनिट)		कुल उत्पादन में कोयला आधारित उत्पादन का प्रतिशत योगदान
	कोयला आधारित उत्पादन	कुल उत्पादन	
2021-22	1041.48	1320.95	78.84%
2022-23	1145.91	1420.91	80.65%
2023-24	1260.90	1513.26	83.32%
2024-25(अप्रैल-जून 24)	349.75	421.15	83.05%

(ग): देश में कोयले की अधिकांश मांग स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले की वास्तविक मांग वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1233.86 मिलियन टन (मि.ट.) हो गई, जो वर्ष 2022-23 में 1115.04 मि.ट. थी। कोयले की बढ़ी हुई मांग की तुलना में घरेलू कोयला उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में, घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में 893.19 मि.ट. से 11.65% बढ़कर 997.26 मि.ट. हो गया। स्वदेशी आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाने वाली कोयले की मांग का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल मांग	घरेलू आपूर्ति	प्रतिशत हिस्सा
------	----------	---------------	----------------

2021-22	1027.84	819.21	79.70
2022-23	1115.04	877.37	78.69
2023-24	1233.86	972.86	78.85
2024-25 (जून, 2024 तक)	310.51	263.19	84.76

स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से कोयले की भावी मांग को पूरा करने तथा कोयले के गैर-आवश्यक आयात को कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन के अगले कुछ वर्षों में 6-7% की वार्षिक दर से बढ़कर 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, सरकार द्वारा देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

(i) कैप्टिव तथा वाणिज्यिक मार्ग के माध्यम सहित नए कोयला ब्लॉकों की पहचान तथा विकास।

(ii) कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

(iii) कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

(iv) कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

(v) राजस्व शेयरिंग के आधार पर कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी प्रदान किए गए हैं।

(vi) कोल इंडिया लिमिटेड अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। कोल इंडिया लिमिटेड परित्यक्त/बंद हो चुकी खानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में क्रियाशील हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी परिकल्पना कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड जहां कहीं संभव हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की भी योजना बना रही है।

(vii) ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, कोल इंडिया लिमिटेड ने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों तथा सतही खनिकों के माध्यम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

(viii) एससीसीएल नई 7 खानों को स्थापित करने के कार्यकलापों में तेजी ला रही है।

(घ) तथा (ङ): पर्याप्त भंडार के साथ ऊर्जा का एक किफायती स्रोत होने के नाते, कोयला निकट भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में बना रहेगा। अभी के लिए, देश को स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी कोयला आधारित उत्पादन की बेस लोड क्षमता की आवश्यकता होगी। साथ ही भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है; भारत में नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा दोनों स्रोतों की ओर परिवर्तन की गति को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में देखना होगा।

अनुबंध

वर्ष 2023-24 और 2024-25 (जून'24 तक) के लिए राज्य-वार एसीक्यू और प्रेषण (विद्युत को ई-नीलामी के माध्यम से प्रेषण सहित) (मिलियन टन में) (अनंतिम)

राज्य का नाम	एसीक्यू 2023-24	प्रेषण 2023-24	एसीक्यू 2024-25 (जून तक)	प्रेषण 2024-25 (जून तक)
आंध्र प्रदेश	43.66	36.96	11.14	10.12
असम	2.57	1.11	0.64	0.32
बिहार	31.45	30.71	8.18	9.24
छत्तीसगढ़	68.23	90.17	17.50	24.10
गुजरात	27.50	17.40	6.84	5.35
हरियाणा	21.50	18.43	5.34	4.38
झारखंड	22.10	21.22	5.28	6.20
कर्नाटक	5.12	9.09	2.28	2.76
मध्य प्रदेश	68.90	61.70	17.90	16.03
महाराष्ट्र (सीआईएल+एससीसीएल)	74.63	88.72	17.65	22.24
ओडिशा	31.03	36.35	7.74	9.94
पंजाब	17.40	17.84	4.31	3.99
राजस्थान	20.80	26.50	5.17	6.21
तमिलनाडु	25.22	25.37	6.30	5.68
उत्तर प्रदेश	99.02	97.98	24.38	26.20
पश्चिम बंगाल	32.65	40.65	7.31	8.90
कुल	591.78	619.70	147.96	161.54

महाराष्ट्र राज्य के लिए एसीक्यू और प्रेषण ब्यौरा (मिलियन टन में) (अनंतिम)

संयंत्र का नाम	एसीक्यू 2023-24	2023-24	एसीक्यू 2024-25 (जून'24 तक)	2024-25 (जून'24 तक)
मौडा (एनटीपीसी)	8.92	10.61	2.23	3.17
सोलापुर एसटीपीपी	2.83	2.21	0.71	0.56
भुसावल	5.53	4.75	1.38	1.07
चंद्रपुर	10.46	9.75	2.61	2.55

खापरखेडा	7.31	10.22	1.83	3.39
कोराडीह	1.17	11.12	0.29	2.59
नासिक	3.08	4.02	0.77	0.51
पारस	2.50	2.02	0.63	0.47
परली	1.71	0.47	0.43	0.32
अदानी पावर (तिरोडा) आईपीपी	15.39	15.66	2.83	2.64
धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर	2.57	3.02	0.64	0.76
ईएमसीओ आईपीपी (वरोरा)	2.12	2.32	0.53	0.79
वर्धा वरोरा	2.35	2.39	0.59	0.61
मानस एगो	0.11	0.10	0.03	0.03
रतनइंडिया {पूर्व में इंडिया बुल्स आईपीपी, अमरावती}	6.10	7.00	1.53	1.71
आइडियल एनर्जी	0.00	0.13	0.00	0.28
जिंदल पावर, धुले	0.05	0.02	0.02	0.21
दहानु	2.45	2.44	0.61	0.46
कुल सीआईएल	74.63	88.23	17.65	22.13
एससीसीएल	--	0.49	--	0.11